

कार्यलय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गॉंधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल
कमांक 2279092 / एमसी / एनएचएम(6) / 2020 भोपाल, दिनांक 22/09/2020

// आदेश //

मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ग0प्र0 के पत्र कमांक 12248/एनएचएम/एनआर/2020/भोपाल, दिनांक 21/09/2020 एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा की पत्र कमांक 1119/संविश/55, दिनांक 13.08.2020 एवं संभागायुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र कमांक 3729/विकास/2020/दिनांक 10.07.2020 के संदर्भ अनुसार कोविड महामारी की रोकथाम हेतु शासकीय गॉंधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में नवीन ब्लॉक एवं टीबी हॉस्पिटल में 240 एवं 100 विस्तर की नई ईकाई स्थापित करने हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन हेतु अस्थायी नियुक्ति अवधि दिनांक 30.09.2020 तक के लिये उपरोक्त अनुसार संशोधन कर जारी विज्ञप्ति कमांक 19261/अधि0/एनएचएम(6)/2020, भोपाल, दि0 19.8.2020 पर चिकित्सा अधिकारी के 60, पदों के लिये प्राप्त आवेदनों की मेरिट लिस्ट अनुसार निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारी का वयन निश्चित मानदेय पर रु 60000/- पर नियुक्त किया जाता है।

कमांक	नाम	पिता का नाम	पदस्थापना का स्थल
1	डॉ फिती धानिक	श्री रणधीर सिंह धानिक	हमीदिया अस्पताल कोविड वार्ड
2	डॉ सुनील दयाल	श्री जगदीश प्रसाद दयाल	हमीदिया अस्पताल कोविड वार्ड
3	डॉ सुरेन्द्र सिंह राठौर	श्री वीरेन्द्र सिंह राठौर	हमीदिया अस्पताल कोविड वार्ड

सेवा शर्तें

- उक्त पदों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी अधिष्ठाता, गॉंधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल
- यह सेवा पूर्णतः अस्थायी होगी एवं आकस्मिक सेंवाओं के रूप में दिनांक 30.09.2020 तक के लिये ली जा रही है। अतः निर्धारित अवधि पश्चात् आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। तत्पश्चात् बिना आदेश प्राप्त किये निरंतर कार्य पर बने रहने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी तरह के मानदेय के लिये प्राप्त नहीं होगा।
- इन सेवाओं को नियमित अथवा सविदा सेवा के लिये किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जायेगा।
- अधिष्ठाता, गॉंधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल को समस्त दरतावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ, अनुबंध एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध करा कर ही सेवाप्रदाता कार्य दायित्व सम्भालेगा।
- अनुबंध (रु 500/- स्टाम्प) निष्पादन करने वाला व्यय संबंधित सेवा प्रदाता द्वारा वहन किया जायेगा।

6. किसी भी तरह की असत्य जानकारी अनुशासनहीनता और कार्यस्थल की गोपनीयता गम करने पर या अपराधीक गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर कानुनी कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्त कर्मचारी अपनी उपस्थिती अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यलय की एनएनएच भाखा में पत्र जारी होने के दो दिवस में अनुबंध और चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।



कार्यलय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल

प्रतिलिपी सूचनार्थ

क्रमांक./एगसी/एनएचएम(6)/2020

भोपाल, दिनांक /09/2020

प्रतिलिपी सूचनार्थ

1. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा रातपुड़ा भवन भोपाल
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, M0प्र0 भोपाल.
4. संभागयुक्त,भोपाल संभाग भोपाल की और आपके सन्दर्भित पत्र के संदर्भ में।
5. अधीक्षक , हमीदिया चिकित्सा भोपाल
6.संबधित कर्मचारी
7. आदेश नस्ती

||

कार्यलय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल